

उत्तर प्रदेश शासन
राज्य कर अनुभाग-2

संख्या-461/ग्यारह-2-22-9(47)/17-टी.सी.184-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(237)-2022

लखनऊ: दिनांक: 20 जून, 2022

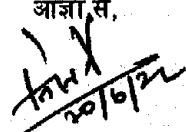
अधिसूचना

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 148 के साथ पठित धारा 50 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों पर, एतद्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (2) में उल्लिखित रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग के लिए, जिन्हें प्ररूपजीएसटीआर-8 में विवरण प्रस्तुत करना अपेक्षित था, किन्तु वे उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में उल्लिखित माह के लिए उक्त विवरण नियत तारीख तक प्रस्तुत करने में असफल रहे थे, उक्त सारणी के स्तम्भ (4) में तत्स्थानी प्रविष्टि में उल्लिखित अवधि के लिए, प्रतिवर्ष ब्याज की दर 'शून्य' अधिसूचित करती हैं, अर्थात्:-

सारणी

क्र.सं	रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग	मास	वह अवधि जिसके लिए ब्याज शून्य होगी
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	इलैक्ट्रॉनिक वाणिज्यिक प्रचालक, जो निम्नलिखित माल और सेवा कर पहचान संख्या रखते हैं, जो पोर्टल की तकनीकी गड़बड़ के कारण नियत तारीख तक दिसंबर, 2020 माह के लिए उक्त अधिनियम की धारा 52 की उपधारा (4) के अधीन विवरण दाखिल नहीं कर सके थे किन्तु उन्होंने उक्त माह के लिए धारा 52 की उपधारा (1) के अधीन संग्रहित कर, इलैक्ट्रॉनिक नकद खाते में निक्षेपित कर दिया था, अर्थात् :- 09AABCB3428P1CO 09AABCT1559M1C8 09AACCF0683K1CQ 09AADCD4946L1CJ 09AAECC3074B1CB 09AAICA3918J1CR	दिसंबर, 2020	उक्त अधिनियम की धारा 52 की उपधारा (1) के अधीन संग्रहित कर इलैक्ट्रॉनिक नकद खाते में निक्षेपित करने की तारीख से धारा 52 की उपधारा (4) के अधीन विवरण दाखिल करने की तारीख तक

2. यह अधिसूचना तारीख 7 जून, 2022 को प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

आज्ञा से,

(नितिन रमेश गोकर्ण)
प्रमुख सचिव